नई शिक्षा नीति तथा हिन्दी भाषा और साहित्य

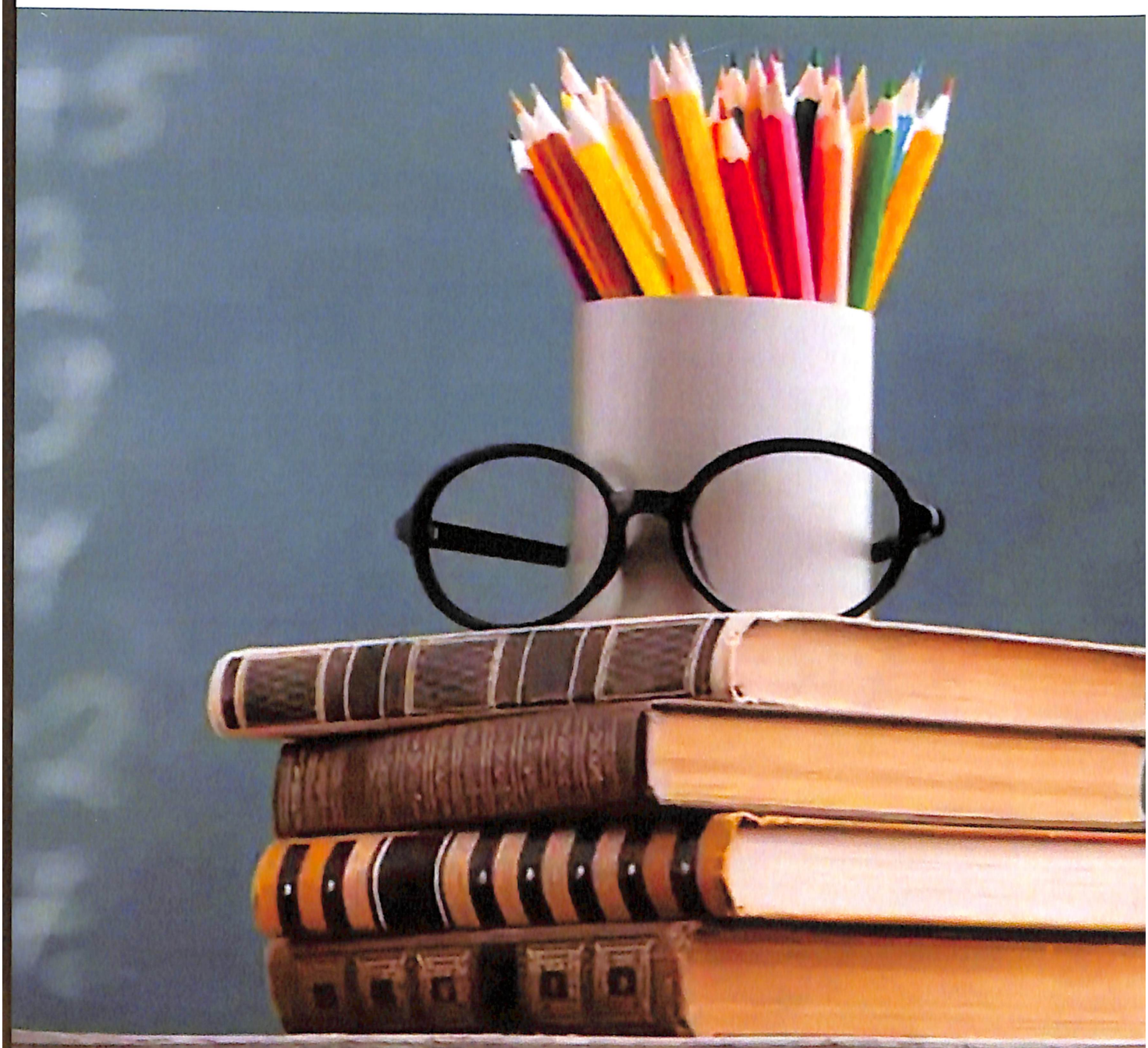

डॉ० राजेंद्र पोवार

नई शिक्षा नीति तथा हिंदी भाषा और साहित्य

डॉ० राजेंद्र पोवार

शुभम् पब्लिकेशन
कानपुर -208021 (उ. प्र.)

इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक या इसके किसी भी अंश का किसी भी माध्यम से अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुर्नप्रयोग की प्रणाली द्वारा, किसी भी रूप में, पुनरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता, इसे संक्षिप्त, परिवर्धित कर प्रकाशित करना कानूनी अपराध है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन हेतु एस. के. ई. सोसाईटी के रानी पार्वती देवी कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय, बेळगावी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त।

ISBN : 978-93-83144-41-9

प्रथम संस्करण 2022

© संपादक

पुस्तक	:	नई शिक्षा नीति तथा हिंदी भाषा और साहित्य
संपादक	:	डॉ० राजेंद्र पोवार
प्रकाशक	:	**शुभम् पब्लिकेशन** 3ए/128, हंसपुरम्, कानपुर-208021 (उ.प्र.) सम्पर्क : 09415731903, 09452971407 E-mail : shubhampublicationskanpur@gmail.com Website : www.shubhampublications.com
मूल्य	:	₹ 395/-
शब्द सज्जा	:	शिखा ग्राफिक्स, कानपुर-14
मुद्रक	:	आर्यन डिजिटल, नई दिल्ली-02
आवरण	:	गौरव शुक्ला, कानपुर-14

भूमिका

कर्नाटक राज्य में वर्ष 2021-22 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, जिससे छात्रों को पाठ्यक्रम में मातृभाषा से लेकर विश्व भाषा संस्कृतियों तक, अपनी इच्छा का विषय चुनने की स्वतंत्रता मिली है। इस उपलक्ष्य में एस. के. ई. संस्था के रानी पार्वती देवी कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अध्ययन का प्रावधान तथा अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना इस संगोष्ठी का उद्देश्य था। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रामचंद्र गौड़ा, यू.जी. सी. बैंगलोर से शिक्षा अधिकारी डॉ. लता के. सी., बेळगावी जिला उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अधिकारी श्री. रवींद्र मदिहल्ली और मुंबई की एक वरिष्ठ अनुवादक श्रीमती रेखा देशपांडे ने इस संगोष्ठी में मार्गदर्शन कर बहुमूल्य योगदान दिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राध्यापकों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों पर डॉ. लता के. सी ने विशेष प्रकाश डाला। श्री. रवींद्र मदिहल्ली ने यह भी बताया कि कैसे उद्योग और व्यवसाय के साथ पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाए। रेखा देशपांडे ने बताया कि भाषाई और अन्य प्रायोगिक कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए। इसके साथ ही संगोष्ठी में भाग लेने वाले कई प्राध्यापकों ने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और कन्नड़ भाषाओं में अपने विचार प्रस्तुत किए। इस चर्चा को प्रकाशित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

संगोष्ठी के आयोजन में एस. के. ई. संस्था के चेअरमन श्री किरण ठाकुरजी का बहुमूल्य प्रोत्साहन मिला। कॉलेज के प्रबंधन मंडल के अध्यक्ष श्री. शरद वालावलकर, सदस्य श्रीमती माधुरी शानभाग, श्रीमती बिम्बा नाडकर्णी तथा अन्य सदस्यों का मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन मिला। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं।

इस संगोष्ठी में शोधालेख प्रस्तुत करनेवाले सभी विद्वान तथा संगोष्ठी में उपस्थित रहनेवाले प्राध्यापक एवं छात्रों का आभार। संगोष्ठी के आयोजन में बहुमूल्य योगदान देकर संगोष्ठी को सफल बनाने और महत्वपूर्ण शोधालेखों को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने के लिए शुभम् पब्लिकेशन, कानपुर को तथा रानी पार्वतीदेवी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राध्यापकों को उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद।

डॉ राजेंद्र पोवार
संपादक

डॉ. शोभा नाईक
प्राचार्य, रानी पार्वती देवी कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय, बेळगावी

अनुक्रमणिका

1. जनसंचार माध्यम और हिन्दी 7
डॉ. राजेन्द्र पोवार

2. दिनकर की कविता में राष्ट्रीयता 11
प्रो. प्रतिभा मुदलियार

3. राजभाषा हिन्दी तथा अनुवाद क्षेत्र 17
डॉ. मालतेश मैलार

4. नई शिक्षा नीति का कर्नाटक में कार्यान्वयन तथा हिन्दी का स्थान 22
विनय कुमार यादव

5. भाषिक कौशल और अनुवाद 25
डॉ. चित्रा मिलिंद गोस्वामी

6. प्रेमचंद के साहित्य में लोकजीवन और नई शिक्षा नीति 28
प्रा. विजय कुमार वि. पाटील

7. भाषिक कुशलताए¡ तथा अनुवाद क्षेत्र 33
प्रा. नीता पाटील

8. स्वतंत्रता संग्राम में कवियों का योगदान 35
डॉ. शर्मिला बिस्सा

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 41
सतीश एकनाथ धुरी

10. भाषिक कुशलताएँ तथा अनुवाद क्षेत्र 43
डॉ. सुनील कुमार यादव

11 आदिवासी चिंतन एवं ग्लोबल गांव का देवता 48
डॉ. शंकर ए. राठोड़

12. हिन्दी साहित्य में नारी मनोविज्ञान 57
डॉ. दीपा अंटिन

13. नई शिक्षा नीति के आलोक में हमारी भाषा 60
डॉ. उर्मिला पोरवाल
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 67
डॉ. अजित एस. कोळी
15. अन्वेषक: चुनौती परम्पराओं को तोड़ने की 70
डॉ. अमित एस. चिंगली
16. छायावादी काव्यधारा की विशेषताएँ 76
डॉ. प्रेमा विश्वनाथ गाडवी

14

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ. अजित एस. कोळी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक भारतीय भाषा को अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान का स्वाभाविक माध्यम बनाने की ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करती है। मातृभाषा को अधिकत्तम का माध्यम बनाए जाने की निर्णय बहुत ही साहसिक है। समग्र रुप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के प्रति संवेदनशील है।

भारतवर्ष अकल्पनीय विविधताओं से सुसज्जित देश है। हमारा यह वैविध्य अत्यंत प्राचीन और सनातन है। इस विविधता से पृथकता का भाव कदापि नहीं निकलता, अपितु अद्भुत एकत्व का संचार होता रहता है। वेशभूषा, आहार, व्यवहार, उपासना, बोली, भाषा, उत्सव, तीर्थ, लोकाचार आदि की विभिन्नता कभी भी राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं बनी। कतिपय संक्षिप्त कालखंडों में कुछ विचार-अनुयायियों द्वारा इस विविधता को राष्ट्र की एकता में बाधा भी बताया गया है।

कुछ राजनीतिक विचारधाराओं ने इन विविध रुपों में पारस्परिक शत्रुता खोजने और अकारण संघर्ष आरोपित करने के कुटिल प्रयास भी किए। परंतु भारत की सनातन सांस्कृतिक अक्षुण्णता के तंतु हमारे लोक जीवन में इतने गहरे बैठे हैं कि प्रत्येक संस्था, समुदाय और समाज में वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बताने के हठ्ठी, अपनी कुंठाओं के गहर में निमग्न हो गए और राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि में अप्रासंगिक हो गए है।

यह भी रोचक तथ्य है कि भारत की भाषाई विविधता को जिन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन का आधार बनाया तथा स्वातंत्र्योत्तर भारत के अनेक विवादों और संघर्षों का कारण बना डाला, उसी विचारधारा के लोग ही आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाषा संबंधी प्रावधानों में दोष खोज रहे हैं। संस्कृत के बहाने तमिल और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं को स्थान-च्युत कर हिंदी थोपने का प्रयास बताकर जो राजनेता शिक्षा नीति के विरोध में अंग्रेजी समाचार पत्रों में लेख लिख रहे हैं, वे सचमुच में विघ्नसंतोषी हैं। सामान्य लोगों में भाषाई वैमनस्य बढ़ाने की यह दुष्प्रवृत्ति भारतीय भाषाओं की चिर-शत्रु है। दुःख की बात यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लेकर सुनियोजित रीति से कुछ शरारती तत्व भ्रम फैला रहे हैं।

वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति समान रुप से सभी भारतीय भाषाओं की चिंता करती है। हमारी सभ्यतामूलक दृष्टि अनेक भाषाओं और बोलियों में विद्यमान लोक

साहित्य, लोक नृत्य, लोक कला, लोक संगीत, लोक कथा आदि से समृध्द हुई है। हमारी दंतकथाएं, लोकोक्तियां, पर्व, तीर्थ आदि सभी क्षेत्रीय बंधनों से परे देखने में हमेशा समर्थ रहे हैं। अपने से इतर भाषा-भाषी सर्वदा हमारे कौतूहल, उत्कंठा और सहज सम्मान का पात्र बनता है। इसीलिए हमारे सारे इतिहास व संस्कार में भारत एकात्म स्वरुप में विद्यमान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विचार को अग्रसारित करती दिखती है।

शिक्षा नीति आठवीं अनुसूची की सभी २२ भाषाओं में पृथक अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव करती है। यह प्रस्ताव भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्वक पाठ्य सामग्री के निर्माण तथा शोध की संभावनाओं के अगणित द्वार अनावृत्त करेगा। अनुवाद तथा व्याख्या हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान का संकल्प भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। देशभर में भाषा शिक्षकों, अनुवादकों, भारतीय भाषाओं में पाठ्य वस्तु का निर्माण करने में सक्षम विद्वानों आदि नवीन रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे। सृजनात्मक साहित्य लेखन को पुरस्कार दिए जाने का विचार भी रचनात्मकता, मौलिकता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही बहुभाषिकता एक विशिष्ट योग्यता बन जाएगी। एक से अधिक भारतीय भाषाओं का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की मांग सर्वत्र बढ़ जाएगी। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना और प्रकाशन द्रुतगति से बढ़ेगा।

संस्कृत के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विशिष्ट दृष्टि रखती है। संस्कृत भाषा को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से इसे त्रि-भाषा सूत्र में एक विकल्प के रुप में रखने का निर्णय अनूठा और प्रशंसनीय है। साथ ही शिक्षा नीति संस्कृत ज्ञान व्यवस्था को बहुविषयक तथा अंतरविषयी बनाने पर बल देती है। सत्य यह है कि कई कारणों से भारतवर्ष के अकादमिक समुदाय ने अनेक वर्षों से संस्कृत भाषा की सायास उपेक्षा की है। इसका एक परिणाम यह हुआ है कि हमारा शिक्षित समाज या तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा से सर्वथा अनभिज्ञ है या उसे आधुनिकता के सापेक्ष हेय दृष्टि से देखता है।

कैसी विडंबना है कि सहस्त्रों वर्षों तक ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, चिकित्सा, आयुर्वेद, साहित्य, प्रशासन, चिंतन, खगोलशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति आदि की विपुल संपदा का निर्बंध निर्वहन करनी वाली संस्कृत को आधुनिक भारत के कुछ अल्पशिक्षित मातृभाषा कहने का दुस्साहस कर लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक वैभव का वैश्विक दिग्दर्शन कराने वाली संस्कृत का अज्ञान भारतीयता का अज्ञान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सकारात्मक रुप में संबोधित करती है। पांडुलिपियों का एकत्रीकरण तथा संरक्षण सभी शिक्षण संस्थाओं के शोधकर्ताओं के लिए सहायक सिध्द होगा। संस्कृत शिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव इस अपेक्षाकृत विपन्न समुदाय को संजीवनी प्रदान करेगा।

इस प्रस्तावित कार्ययोजना में आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं की पृथक अकादमी की स्थापना, भाषाओं के शब्दकोशों का अद्यतनीकरण और इस हेतु कार्यदलों का गठन, प्रयोजनमूलक भाषा कार्यक्रमों का विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन, मानकीकृत पारिभाषिक शब्दावली के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना का निर्माण, विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्यापन, समाज विज्ञानों तथा भौतिक विज्ञानों में भारतीय भाषाओं में दक्ष एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को चित्रित करना, बहुभाषी शिक्षकों को अनुवाद कार्य योजना में संलग्न किया जाना, भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठतम रचनाओं के अनन्य भाषाओं में अनुवाद तथा उनकी पुस्तकालयों में उपलब्धता सुनिश्चित कराना, विश्वविद्यालयों में संस्कृत तथा क्षेत्र विशेष से इतर भारतीय भाषा में रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जाना, कार्यालयी प्रयोग में हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाना आदि प्रमुख है।

समग्र रुप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के प्रति संवेदनशील है। इसके मंतव्यों के क्रियान्वयन की योजना तेजी से बनाई जानी चाहिए, जिससे भ्रांतियां फैलाने वालों की दुराशाएं फलवती न हो और देश के सांस्कृतिक एकीकरण की सनातन परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे।

हिंदी विभाग, आर.पी.डी. कॉलेज,
टिळकवाडी, बेळगांव

●